निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) टाईप ए से डी तक के वास के लिए नियुक्ति तिथि अग्रता तिथि के रूप में ली जाती है । टाईप ई तथा इससे ऊपर के वास के लिए अग्रता तिथि उस तिथि से गिनी जाती है जिस पर कि कोई अधिकारी विशिष्ट तारीख जो कि इस निमित्त नियत की जाती है, को ली गई अपनी परिलब्धियों के आधार पर उस टाइप के वास के लिए पात्र हो जाता है । चालू आबंटन वर्ष जो कि 1-4-1982 से आरम्भ हो गया है, के लिए निर्धारित तारीख 1-10-1981 है ।

दिल्ली में सामान्य पूल में वास के विभिन्न टाइपों में कवर की गई अग्रता तिथियां निम्नलिखित हैं :—

टाइप	ए	12-3-1963
टाइप	बी	5-12-1956
टाइप	सी	1-10-1958
टाइप	डी	14-4-1956
टाइप	ई	1-1-1973
टाइप	ई i	2-1-1973
टाइप ई-ii	फिलहाल टाइप viii के •	
टाइप ई-iii	मकान पदासीन मंत्रियों/मंत्री स्तर के व्यक्तियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा सचिवों को आवंटित किए जा रहे हैं तथा ई-ii टाइप के मकान अधिकांशत: सचिवों तथा सचिव स्तर के अन्य अधिकारियों जो कि 3500/-रुपए प्रतिमास की परिलब्धियां ले रहे हैं, तथा संसद सदस्यों को आवंटित किए जा रहे हैं । यह सब रिक्तियों पर निर्भर है।	

(ख) यह सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि स्थानान्तरण मृत्यु आदि-आदि घंटकों पर निर्भर रिक्तियों की उपलब्धता का पूर्वज्ञान नहीं हो सकता है ।

(ग) टाइप ए तथा बी में 10 प्रतिशत रिक्तियां तथा टाइप सी तथा डी में 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए आरक्षित की जाती है। 5 प्रतिशत रिक्तियां क्षय रोग (दूसरों के लिए खतरे के सक्रिय चरण में) केन्सर तथा विकलांग कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर आवंटित हेतु आरक्षित की जाती है ।

Number of Problem Villages for Drinking Water in Bidar District of Karnataka

4722. SHRI NARSING RAO SURYAWANSHI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) how many villages in Bidar distract (Karnataka) are declared as problem villages for drinking water;

(b) how many these are covered under the drinking water supply scheme and how many are left; and

(c) by what time Government would provide drinking water to all the problem villages?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMAD USMAN ARIF): (a) In Bidar District of Karnataka 499 villages were identified as problem villages which had still to be provided with drinking water supply facilities at the beginning of the Sixth Plan i.e., as on 1-4-1980.

(b) According to the information furnished by the State Government 158 problem villages have been sup-

plied with drinking water facilities in the first two years of the Plan i.e. in 1980-81 and 1981-82. Thus there were 324 problem villages still remaining to be provided with drinking water facilities on 1-4-1982.

(c) Efforts are being made to provide all identified problem villages with at least one source of safe drinking water by the end of the Sixth plan period.

यमुना पार स्थित लक्ष्मी नगर क्षेत्र में बेढंगे निर्माण के बारे में शिकायतें

4723. **श्री राम प्यारे पनिका :**

श्री कमल नाथ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना पार स्थित लक्ष्मी नगर क्षेत्र में बेढंगे निर्माण होने की शिकायत सरकार को भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के होने वाले निर्माण कार्य को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) से (ङ). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लक्ष्मी नगर क्षेत्र के जे तथा के ब्लाकों में स्कूल के लिए उद्दिष्ट भूमि पर मकानों के अनधिकृत निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिस भूमि पर अनधिकृत निर्माण हुये हैं वह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निषेधादेश के अन्तर्गत है। यद्यपि लक्ष्मी नगर के क्षेत्र को नियमित कर दिया गया है परन्तु भवन निर्माण गतिविधियों को उजागार नहीं किया गया है। अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत 1663 मामलों में नोटिस जारी किये गये हैं तथा 1-4-1980 से 28-2-83 तक की अवधि के दौरान गिराने के आदेश पारित किये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि कई मामलों में उन व्यक्तियों/निर्माणकर्ताओं जिन्होंने अनधिकृत निर्माण कर लिए हैं, के विरुद्ध फौजदारी न्यायालयों में मुकद्दमें भी दायर कर दिए गए हैं।

Slow Implimentation of Land Reforms

4724. SHRI GADAHAR SAHA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that land reforms instituted in 1951 are mean to redistribute rural resources and the pace of implementation is slow, full of loopholes and its impact is minimal;

(b) if so, whether national committee on agriculture was appointed to go in all aspects of this question and make recommendation;

(c) if so, what is the recommended structure and its suggestions as to action about the irregular transac-